

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 **EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995**

प्रपत्र-10 ग (क० पें० यो०) Form 10-C (E.P.S.)

निकासी परिलाभ/योजना प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेत आवेदन प्रपत्र

Form for claiming withdrawal benefit/scheme certificate

निर्देश /INSTURCTIONS

कौन आवेदन कर सकता है ? / Who Can apply ?

- कर्मचारी परिवार पेंशन योजना. 1971/कर्मचारी पेंशन योजना. 1995 का कोई सदस्य जिसने
 - A Member of the Employees' Family Pension Scheme, 1971/Employees' Pension Scheme, 1995.
 - (क) 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व नियोजन को छोड़ दिया है.
 - (a) Who has left the employment before completion of 10 years service.
 - (छ) 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवा में रहते हुए अथवा सेवा के बाद अर्थात 58 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो।
 - (b) Who has attained the age of 58 years before completion of 10 years service whether in service/left the service (ग) सेवा अवधि का कार्य काल 6 माह के अधिक हो ।
- 2. एक सदस्य, जिसने सेवा त्यागने की लिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इस आयेदन को भरने की तिथि तक 58 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं हुआ है या इस आवेदन को भरने की अवधि तक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या 50 वर्ष की अथवा इससे अधिक परन्तु 58 वर्ष की कम की आयु को प्राप्त कर घुका है तथा घटी दर की पेंशन हेतु इंध्युक नहीं है ।
 - A member, who has completed 10 years service on the date of his leaving the service and has not attained the age of 50 years on the date of filing this application or has attained the age of 50 years on the date of filing this application or has attained the age of 50 years or more but less than 58 years, and not willing for reduced pension. दिनांक 1.3.1971 से दिनांक 15.11.95 तक की सेवा (यदि कोई है) को 10 वर्ष की सेवा हेतु गिना जाएगा।
 - Note-I: To determine the period of 10 years service rendered from 1.3.1971 to 15.11.1995 (if any), shall
 - टिप्पण-॥ (i) एक सदस्य, जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ती है और 58 वर्ष की आयु को सेवा में अथवा सेवा में न रहते हुए प्राप्त कर लिया है, मासिक सदस्य पेशन हेत पात्र है ।
 - A member who has completed 10 years service and attained the age of 58 years, whether in Note-II (i) service or not is eligible for Monthly Member Pension.
 - सदस्य जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा 50 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली है, रोजगार छोड़ने के उपरान्त घटी दर पर पेंशन लेने के लिए पात्र है ।
 - A member, who has completed 10 years service and also attained the age of 50 years is eligible to draw pension at reduced rate, after leaving the employment.
 - (ii) सदस्य, जिसने पूर्ण एवं स्थायी अपंगता के कारण सेवा त्याग दी है चाहे उसकी आयू और सेवा अ**बधि** कितनी भी हो, मासिक अंपगता पेशन हेतु पात्र है ।
 - A member who has left the service on account of total and permanent disablement, irrespective of his age and period of service, is eligible for monthly disablement pension.
 - (iv) मासिक पॅशन के दावे हेत् प्रपत्र-10-डी में आवेदन प्रस्तृत करना चाहिए ।
 - (iv) To claim the Monthly pension, application in Form-10-D should be submitted.

3. पात्र परिलाभ के प्रकार/Type of benefit eligible :

- ऊपर मद संख्या-- 1 के अंतर्गत कोई सदस्य निकासी परिलाम की राशि को प्राप्त करने का पात्र है ।
- A member falling under Item I above is eligible to get the amount towards withdrawl benefit.
- तथापि ऊपर मद संo 1 (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य को परामर्श दिया जाता है कि वह निम्नलिखित प्रसुविधाओं **हेत यो**जना प्रमाणपत्र के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करें ।
- However, a member falling under item 1(a) above is advised to opt for the Scheme Certificate on account of following advantages. (i) किसी अन्य संस्थान में रोजगार प्राप्त करने पर उसकी पूर्व सेवा अवधि को आगे गिना जाएगा तथा उन्हें एकत्रित
 - कर पेंशन की हकदारी को विनिधमित किया जाएगा । (i) On taking up employment in another establishment, his earlier service period will be carried forward and
 - clubbing both the spells together pension entitlement shall be regulated. यदि कोई सदस्य रोजगार प्राप्त नहीं करता है और 58 वर्ष की आयु को प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो रेजाती है तो उसका परिवार 'परिवार पेंशन' प्राप्त करेगा ।
 - If the member does not take up employement and dies before attaining the age of 58 years. His family will get family Pension. On his survival, he will get withdrawal benefit with weightage as may be prescribed.

- योजना प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय सदस्य द्वारा भविष्य निधि संचय की निकासी में कोई रुकावट नहीं है ।
- (iii) While availing a Scheme Certificate, there is no bar to withdraw the P. F. accumulations by the member.
- 4. आवेदन पत्र भरने हेतु मार्गदर्शन/Guidance for filling the application :

(नीचे क्रम सं० आवेदन में दी क्रम सं० से संदर्भित है)

(S.No. given below refers to the one given in the application)

क्रम सं0-1

2

- स्थापना के सेवा अभिलेखों में दिए अनुसार अपना नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखिए ।
- Write your name in CAPITAL letters as given in the service records of your establishment. SI. No.-1 (a)
 - केवल उस समय भरा जाए जब आवेदन सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (अर्थात नामिति/परिवार . (ख) सदस्य) द्वारा प्रस्तृत किया जाना है ।
 - To be furnished only when the application is preferred by a person other than the memebr (b) himself (i.e. Nominee/family member) सदस्य की सही जन्म तिथि दी जानी चाहिए ।

The exact date of birth of the member should be given.

3 से 7 तक

विवरणों को बगैर किसी ओवरराइटिंग या कंटिंग को स्पष्ट रुप से यहां दिया जाना चाहिए । किसी भी शुद्धि/शोधन को अभिप्रभाणित किया जाना चाहिए । Particulars should be written clearly without any overwriting or cutting. Correction if any, be

3 to 7 : -

- सदस्य द्वारा विकल्प उसी स्थिति में दिया जाना है यदि उसने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और निकासी परिलाम हेतु पात्र है । The option is to be given by the member only if he has not rendered 10 years service and eligible for withdrawal benefit.
- नामित व्यक्ति और परिवार (जीवन साथी एवं सभी बच्चे) का पूर्ण विवरण हर स्थिति में दिया जाना चाहिए । Complete particulars of nominee and family (spouse and all children) should be given without fail.
- 10. इसे तब प्रक्रिया में लाया जाए जब नामित या परिवार के किसी सदस्य द्वारा दावा प्रस्तृत किया गया हो । To be furnished when the claim is preferred by nominee or the family member (s).
- 11. इसे केवल तभी पूरा किया जाए जब सदस्य निकासी परिलाभ हेतु पात्र हो और उसने योजना प्रमाणपत्र के स्थान पर इस हेत् विकल्प दिया हो । (यह उन पर लागू नहीं है जो योजना प्रमाणपत्र हेतु हकदार हैं अथवा जिन्होंने निकासी परिलाभ के स्थान पर योजना प्रमाणपत्र हेत् विकल्प दिया है ।)

To be completed only when a member is eligible for withdrawal benefit and opted for it in lieu of scheme Certificate (not applicable to those who are entitled for Scheme Certificate or opted for Scheme Certificate in lieu of withdrawal benefit.)

12. यदि सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतंगत परिवार पेंशन/पेंशन ले रहा है तो उसे विवरण देना आहिए। In case, the member is drawing Family Pension/Pension under the Employees' Pension Scheme 1995, the details should be furnished.

अग्रिम प्राप्ति रसीद/Advance Receipt :

दावा प्रपन्न का अभिप्रमाणपन्न/Attestation of claim form :

दावा साधारणतः उस नियोक्ता से अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसके अधीन सदस्य अन्त में नियोजित था । The claim should preferably be attested by the employer under whom the member was last employed.

यदि किसी कारणवश दावेदार आवेदन को अपने पूर्व नियोक्ता से अभिप्रमाणित कराने में असमर्थ है तो उसे चाडिए कि वह स्थिति को स्पष्ट करते हुए दावे को निम्नलिखित अधिकृत अधिकारियों में से किसी एक से अभिप्रमाणित कराकर भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित कर दें ।

If for any reason, the claimant is unable to get the application attested by his ex-employer, he may forward the claim to the Provident Fund office duly clarifying the position, after getting it attested by any one of the following authorised officials:

.-4

1338

15 1

\$13

布

Hi. 铀

WANTED.

- उस बैंक के मैनेजर से जिसमें सदस्य का खाता अनुरक्षित है ।
- Manager of the Bank where the member is holding an account. (i)
- शैक्षणिक संस्था का प्रधान/Head of Educational institution. (ii)
- राजपत्रित अधिकारी/A Gazetted Officer. (iii)
- (iv) उप डाकपाल/डाकपालSub-Post Master.
- (v) मजिस्ट्रेट/The Magistrate
- (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ।
- Memeber of Central Board of Trustees (vi) Employees's Provident Fund or Regional Committee
- (vii) अध्यक्ष/सदस्य/नगरपालिका/जिला / स्थानीय बोर्ड का सदस्य
- (vii) Chairman/Secretary/Member of the Municipal/District/Local Board
- (viii) ग्राम / पंचायत का अध्यक्ष / संरपच / संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य
- (viii) President of the village Union / Panchayat / Member of Parliament / Member of Legislative Assembly.
- (ix) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी
- Any other officer approved by the Regional P. F. Commissioner
- अपेक्षित अन्य किसी मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण (यदि कोई है) हेतु निकटतम भविष्य निधि कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (भविष्य निधि निरीक्षणालय भी सम्मिलित है) से संपर्क किया जा सकता है ।
- For furher guidance/clarifications required, if any the Public Relation Officer in the nearest Provident Fund Office (including Provident Fund Inspectorates) may be contacted.

केवल कार्यालय में प्रयोग के लिये .For Office use only

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952 प्रपन्न 19 Form-19

पंजीकरण संव Read, No.

दावा वापस होने से बचने हेतू जांच बिंदू ।

ा. फार्च के सभी कालम पूरे भरें 1, 2. पीं० एंफ० खाता संख्या ठीक तथा सही से लिखी हो 1 3. बैंक का खाता संख्या व पता ठीक व पूरा भरें 1 वैक खाता संख्या के उपर टेप लगाई गई हो । 5. सदस्य के द्वारा फार्म पर सभी निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर किये गये हो। 6. निर्योक्ता द्वारा कामं ।त्यापित किया गया हो । ७. वर्तमान वर्ष/अवधि का फार्म ३ए साथ लगा हो । ७. कृपया दावा फार्म पर अपना मोबाईल न० ऑकेत करें । नोट : 6 मार या इससे कम अवधि की नौकरी करने वाले कर्मधारी कृपया फार्म 10सी जमा न करें क्योंकि उन्हें पेशन लाभ की पात्रता नहीं है ।

	Form to be used by a major member of the Employ	भविष्य निधि संगठन के बालिंग सदस्य द्वारा भरा जाए rees' Provident Fund Scheme, 1952 for claiming the Fund dues [Para 72] (5)] [देश' देखें]
1.	खाता सं० / Account No. HR	
2.	फैक्ट्री/स्थापना का नाम व पता जिसमें सदस्य अनियम बार नियुक्त किया गया था । Name and Address of the Factory/Establishment in which the member was last employed.	
3.	सदस्य का नाम (स्थाद अक्षरों में) Name of the member (in block letters)	
4.	उपनाम / Alias Name	
5.	पिता का नाम या पति का नाम (विवाहित महिलाओं के मामले में) Father's Name (or husband's Name in the case of married women)	
6	जन्म तिथि / Date of Birth	1 2
7	स्थापना में प्रवेश की तिथि Date of Joining the Establishment	
8	नौकरी छोड़ने की तिथि / Date of leaving Service	
9.	नीकरी छोड़ने का कारण ∕ Reason of leaving Service	
10	मोसाईल नं० (यदि कोई)/ Mobile No. (if any)	
11	ণস অধ্যন্তার কা যুবা দলা Full postal address (in block letters)	
12.	नुगतान की विधि / Mode of Remittance	
(a)	Direct for credit to my S.B.	। ইক জানা संo/S, B, Account No

साल जिल वर्ष का अभारतन/Contribution for the Current Financial Year भरीना व्यवधान की अवधि अंशदान ध्यवधान की अवि SIMPLE यदि कोई हो तो यदि कोई से ले Month Contribution Period of Break if any Period of Break if any Contribution कर्मचारी नियो बता कल कर्मधारी नियोक्ता महीना EMPLOYEE **EMPLOYERS** TOTAL महीना EMPLOYEE **EMPLOYERS** TOTAL मजदरी मजदूरी Month Wages क.भ.नि. क.भ.नि. 9.9 4.4. क.भ.नि. Q. Q. Wages 8.H.F. क.भ.वि. 9.4 3.4.19 9.9. EPE FP EPF FP EPF FP EPF FP EPF FP EPF FP Sep-26 34974 neger Oct-20 -

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पूर्ण जातकारी के अनुसार अपरोक्त विवरण सकी है । Contilled that the particulars are true to the best of my knowledge.

नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी वे हस्ताक्षर Signature of Employer/Authorised Official 10 40 44/P. T. O.

(यदि दावा प्रपन्न नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है तो यह सूचना नियोक्ता द्वारा दी जाए) (Information to be furnished by the Employer if the Claim Form is Attested by the Employer) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंशदान नियमित मासिक जमा धन राष्टि में शामिल है । Certified that the above contributions have been included in the regular monthly remittances. प्रार्थी ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए/अँगूठा लगाया है The Applicant has signed / thumb impressed before me. नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम और मोहर सहित सदस्य के हस्ताक्षर अथवा बाएं/दाएं हाथ के अँगुठे का निशान Signature of Employer/Authorised Official with Designation & Seal Signature or Left/Right hand thumb impression of the member नौकरी में न होने की घोषणा/Declaration of non-employment टिप्पणी : क०भ०नि० योजना 1952 के पैरा 69 के उप-पैरा (2) के खण्ड (ख) और उप-पैरा (1) के खण्ड (च) के अन्तर्गत निपटान के लिए आवेदन करने के मामलों में दावा नौकरी छोड़ने की तारीख से दो महीने के बाद प्रस्तुत करना चाहिए बशर्ते सदस्य लगातार बेरोजगार रहा हो अथवा ऐसी स्थापना में कार्यरत हो जिस पर अधिनियम लाग नहीं है । In the case of submission of application for settlement under clause (s) of sub-paragraph (i) and in clause (b) of sub-Note: paragraph (2) of paragraph 69 of the EPF Scheme, 1952 the claim should be submitted after two months from the date of leaving service provided the member continues to remain un-employed in an estt. to which the Act applies. सदस्य के हस्ताक्षर अथवा बाएं/दाएं हाथ के अँगुठे का निशान तिथि/Date..... Signature or Left/Right hand thumb impression of the member अग्रिम टिकट लगी रसीद (केवल उपरोक्त 9 (ख) के मामले में प्रस्तुत की जाए) ADVANCE STAMPED RECEIPT (To be furnished only in case of 8(b) above) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/प्रभारी उप-लेखा कार्यालय_ से अपने भविष्य निधि खाते के निपटान पर '(रू०,) की राशि अपने बचत बैंक खाते में प्राप्त की। ...(Rupees... Regional Provident Fund Commissioner/Officer in-Charge of Sub Regional Office...... deposit in my Saving Bank account towards the settlement of my Provident Fund Account. 'क्षेत्रीय भविष्य निधि 1.00 रूपये की रसीदी आयुक्त/प्रभारी उपक्षेत्रीय कार्यालय टिकट लगाइये द्वारा भरने के लिए छोड़ा जाये Affix 1.00 Rupes The space should be left blank which Revenue Stamp shall be filled in by Regional Provident Fund Commissioner, Office-Incharge सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं/ दाएं हाथ के अंगुठे का निशान of Sub-Regional Office Signature or Left/Right hand thumb impression of the member आयुक्त कार्यालय के प्रयोग के लिए (For the use of Commissioner's Office) खाते का निपटान किया गया । फार्म सं० 21-,ए/2 तथा प्रत्यहरण रजिस्टर/3 प. पै. नि. प्रपत्र ९ (संश्लोधित) में प्रविष्ट की A/c. Settled in Part/Full Entered in F-21-A/2 and with drawal Register/Form 3 (F.P.F.) Form 9 (Revised) प्रधान लिपिक/Head Clerk लिपिक/Clerk रूपये के अधीन Under Rs. भूगतान मद सं० मनीआर्डर/चैक खाता संव M.O./Cheque Account No. रूपये के भगतान के लिए पास किया Passed for payment for Rs..... (शब्दों में) (in words)..... मनीआर्डर कमीशन (यदि कोई हो) लेखा अधिकारी M. O. Commission (if any) Accounts Officer दिनांक शुद्ध राशि मनीआर्डर द्वारा दी जानी है Net Amount to be paid by M. O. Dated (रोकड अनुभाग के प्रयोग के लिए) (FOR USE IN CASH SECTION) चैक सं० दिनॉक रोकड बही Paid by cheque No..... ach book के खाता संख्या-10 मद नाम संख्या . द्वारा किया गया । and Account No. 10 Debit Item No. ₹1, 311. / 81. 311. A. C. / R. C.

अभ्यिक्तियाँ / REMARKS

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ For Office Use only आयक संब

In ward No.

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 EMPLOYEES PENSION SCHEME, 1995

कर्मचारी पेशन योजना, 1995 के सदस्य द्वारा केवल निकासी परिलाम, योजना प्रमाणपत्र के दावे हेतु प्रयोग किया जाने वाला प्रपत्र FORM TO BE USED BY A MEMBER OF THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995 FOR CLAIMING WITHDRAWAL BENEFITISCHEME CERTIFICATE

(प्रयत्र भरने से पहले निर्देशों को पढ़ें)

	कोड सं. तथा खाता सं. Code No. & Account No. HR	स्थापना की कोड सं० Estl. Code No.	खाता सं. A/c No.]
	स्थापना का नाम व पता जिसमें सदस्य अंत में नियोजित था । Name & Address of the Establishmen			-1
	in which, the member was last employ			21
3.	(ফ) মবংথ কা পাদ (ব্যাহ এমার্থী দী) Name of the member (In Block Letters) :			05 A c.
	(ख) दावेदार का नाम			1 250
	Name of the claimant (s):			72M
4.	उपनाम/ Alies Name			2019
5.	पिता का नाम/Father's Name			beda
	पति का नाम			17.52
	Husband's Name (If applicable)			Set
6.	जन्मतिथि Date of Birth			15.1
7.	Date of Joining the Estt.			
	सेवा छोड़ने की तिथि Date of Leaving of service			. 10
9.	सेवा छोड़ने का कारण Reason for leaving service			- 69
10.	प्रा पता (स्पष्ट अक्षरों में)			21
	Full Postal Address (In Block Letters)			rit lacte
	श्री/श्रीमती/कमारी/Sh/Smt/Km.			
	पुत्र/पत्नी/पुत्री/Sio, W/o, D/o			
	PIN PIN			
	मोबाईल नं० (यदि कोई)/ Mobile No. (if	any)		

			(a)	(61)
प्रमाणपत्र रवीकार करने के लिए तैयार हैं Are you willing to accept Scheme Cert		- 48	(a)	(b) (b)
in lieu of withdrawl benefits	ricate	Yes		No No
) परिवार का विवरण (पति/पत्नी तथा बच्चे Particulars of Family (Spouse & Childre नाम जन्मति। Name Date of B	en & Nominee) ये सदस्य	के साथ संबंध iship with Member		के अविभावक का नाम I the guardian of minor
क) परिवार के सदस्य				
a) Family members				
(খ্ৰ) নামিনি (b) Nominee				* -
10. 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सद	स्य की मृत्यु ह	ाने पर, बिना दा	वा दिए :-	
in case of death of member after attai	ning the age o	f 58 years with	out filing the clai	m:
(क) सदस्य की मृत्यु की तिथि				
Date of death of the member				
(ख) दावेदारों के नाम/तथा सदस्य से उस	का संबंध			
Name of the Ciaminant(s)/and rela	tionship with ti	he member		
1. धनप्रेषण का माध्यम				
Mode of remittance				
(क) खाता देवी वैक सीधा मेरे वैक(अनुस्	नेज बैंक /जाकर	च\ में जनन स्वार्ट	ते में ज्यार कोचे	
हेतु भेज दें । इसकी सूचना हमें भी	हो ।			41 -
Account payees cheque sent dire Under intimation to me.	ct for credit to	my SB A/c (Sc	cheduled Bank)	Vie .
				1 80 3
यशत बैंक रवाता संo/S. B. Accoun	t No.	1 -		
वंक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)				167 187
Name of the Bank (In block letter	s)	1 1 -		
शास्त्रा(त्यष्ट अक्षरों में)/Branch (In b	lock letters)	-		ri agra -
शास्त्रा का पूरा पता(स्पष्ट अक्षरों में)		and the same		- 1 VE
Full address of the Branch (in blo	ck letters)			161
	on iottoraj	100	100-200-200-20	
		100		-0
				ritaci 👉 🤳
				gnina).
12. क्या आप क० पॅ० यो०-95 के तहत पे		रहे हैं ?		1 14 mars 25
Are you availing pension under EPS				offend 1
यदि हाँ, तो इंगित करें	पी० पी० ओव			द्वारा जाती १९४० ~
If so, indicate	PPO No		By w	nom issued the second
प्रमाणित किया जाता है कि विवरण मेरे अधि	हत्या साम के	anno moi 5	T	50\$) II.
Certified that the particulars are true to the				
				- tobe justs
दिनांक :			सदस्य के हस्ता हाथ का अंगुड़ा	
			Signature or le	off Hand Thumb
Date			impression of	the Member / plaimant (s
				Win .
				in) of 5.10
				1

अग्रिम प्राप्ति रसीद Advance Stamped Receipt

[केवल ऊपर (ख) के मामले में ही प्रस्तुत किया जाए ।] [To be furnished only in case of (b) above]

सं: ति: D. H.		अनुपर्यवेक्षक S.S.	स॰ले॰अधि॰ A AO.
			-
towards withdrawal		net amount to be paid by M. O	
		निकासी परिलाभ की निवल राशि net amount to be paid by M. O	
Passed for navment	ाor Rs(in	words)	
		P. I, No.	
60		के अधीन/अदायगी मद सं०	सनीआंईर/धैव
		क्त कार्यालय के प्रयोगार्थ se of commissioner's office)	ा की व
			- I
Date	*****	Signature of Employer	
दिनांक		नियोक्ता/प्राधिकृत अधिक	कारी के हस्लाक्षर
Year/Month	No. of days		
renod of non contr वर्ष/माह	ਇਸ ਇਸ		
गेर अंशदायी सेवा की Period of non contr		2 2 2	TaD to E
Wages as on the di			Calda J
संया त्यागने की तिथि			
दिनांक 15.11.95 को	मजदूरी (मूल वेतन + मंह) as on 15.11.95 (if appli	गाई भत्ता) (यदि लाग है)	* * P. / (
(प्रपन्न-3ए/7) क०पेटर	ोo) उस अवधि का संलगन	है जिस अंबंधि हेतु ये वर्मधारी भविष्य निधि । or which it was not sent to Employees'	कार्याच्या को केले जाती या को वे
The details of wage	(४ गर अशदाया सदावधि र es and period of non-con	हे विवरण निम्नानुसार है :- tributory service of the member are as	under
Deloie ing.		given are correct and the member has	signed/thumb impressed
लगाई है।		विदरण सही हैं और सदस्य ने मेरे समक्ष हर	
oignature & left har	nd thumb impression of t	the member on the stamp,	Rs 1 Revenue Stano
	हस्ताक्षर और बॉयी हाथ		रु० १ राजस्व
The space should b	e left blank which shall t	निधि आयुक्त/प्रमारी अधिकारी द्वारा भरा उ ve filled by Regional Provident Fund Cor	तएमा । mmissioner/Officer-in-charge
	he settlement of my Pens		
		rge of Sub-Regional Office	by deposit in my saving:
राशि प्राप्त की ।			

(नकदानुभाग के प्रयोगार्थ) (For use in Cash Section)

चैक सं०						
सं०-10 डैबिट मद सं०		पर दर्ज	कर लिया है ।		STATE OF THE	
Paid by inclusion in chequ	ıе No	Dt		vide cash Boo	k (Bank) Account	
No. 10 Debit item No				*		
. अनु पर्यः S. S.	•			त ः अधि ः (नक AC (Cash)	ਵ) ''	
एस. एस., आई. डी. एस. हेत्] जारी करने के लिए र	संलग्न है :				
For issue of S. S.; IDS is	enclosed				*	
		,				
स० लि०	अनु० पर्यः		स॰ले॰आ॰	स०भ०नि	া০আ০ (লৈক্সা)	1
D. H.	S. S.		A. AO.	APF	C (A/cs.)	
	-	0)			\$	_
	(पेंशन	अनुभाग	के प्रयोगार्थ)		200	
¥2			के प्रयोगार्थ) sion Section)			
					100 m	
योजना प्रमाणपत्र जिस पर	(For use	in Pen	sion Section)	<u> </u>	<u>उत्तिलखित</u> ा	दे को
योजना प्रमाणपत्र जिस पर दिनांक	(For use	in Pen	sion Section)		244 4.74	है, को
दिनांक	(For use	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की।	
	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की । and enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की।	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की and enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की । and:enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की and enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की and enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की and enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की and enter	
दिनांक	(For use नियंत्रण सं० को जारी किया और इ ing the control No	in Pen	sion Section) च्टि योजना प्रभाणपत्र	त्र नियत्रण पंजी	में की and enter	ed in
दिनांक Scheme Certificate beari the Scheme Certificate Co	(For use	in Pen	sion Section) ि योजना प्रमाणपव	त्र नियत्रण पंजी	में की । and enter	ed in